

## प्रेस नोट 07.09.2020

### थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000 रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे पुरस्कार घोषित/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री रन्धा सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास सूचना मिली कि कोतवाली देहात का इनामिया अभियुक्त जो जनपद भिवाड़ी राज्य राजस्थान में रह रहा था, आज वह घर पर आया है, मुखबिर की सूचना पर कांशीराम कालोनी म०सं०-94/122 से अभियुक्त उपरोक्त को आज दिनांक 07.09.2020 को समय करीब 06.15 बजे गिरफ्तार किया गया। जो दिनांक 30.11.2019 से थाना को० देहात के मु०अ०सं० 646/19 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर घरों में चोरी घटना कारित करता था। जिसके विरुद्ध थाना को० देहात में मु०अ०सं० 307/19 धारा 457/380/411 भा०द०वि० व मु०अ०सं० 332/19 धारा 457/380/411 भा०द०वि० के आधार पर मु०अ०सं० 646/19 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अभिषेक पुत्र राविन्द्र सिंह निवासी म०सं० 94/122 काशीराम कालोनी थाना को० देहात जनपद हरदोई।

#### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 307/2019 धारा 457/380/411 भा०द०वि० थाना को० देहात, हरदोई
2. मु०अ०सं० 332/2019 धारा 457/380/411 भा०द०वि० थाना को० देहात, हरदोई
3. मु०अ०सं० 646/2019 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना को० देहात, हरदोई

#### गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र०नि० रन्धा सिंह थाना को० देहात, हरदोई
2. उ०नि० श्री संतोष कुमार शुक्ला थाना को० देहात हरदोई
3. आरक्षी अनिल कुमार थाना को० देहात हरदोई
4. आरक्षी फूलकुर्वर थाना को० देहात हरदोई
5. आरक्षी रावेन्द्र कुमार थाना को० देहात हरदोई

मीडिया सेल हरदोई